

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश : जबलपुर

B/4272
क्रमांक...../ चार-9-26/18


// आदेश //

जबलपुर, दिनांक.....4/11/2020

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 972/गोपनीय/2020 दिनांक 05 अक्टूबर 2020 द्वारा श्री ठाकुरदास, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को, उनके जिला न्यायाधीश(प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न अवधि में किये गये कार्य व आचरण के आधार पर, मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2017 के नियम 9(4) के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण का प्रमाण पत्र जारी किये जाने के फलस्वरूप एंट्री वेतनमान रूपये 51550-1230-58930-1380-63070/- में वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने पर उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5
07.04.2015	51550.00	07.04.2016	52780.00	01.04.2016
		07.04.2017	54010.00	01.04.2017
		07.04.2018	55240.00	01.04.2018
		07.04.2019	56470.00	01.04.2019
दिनांक 30.06.2019 को सेवानिवृत्त				

B/4273


3.11.2020
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

पृष्ठांकन क्रमांक...../ चार-9-26/18


जबलपुर, दिनांक.....4/11/2020

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर/रीवा/दतिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री ठाकुरदास, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरिहर नगर, सागर ताल के पीछे, बहोडापुर, ग्वालियर, पिन- 474010 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368 दिनांक 01.03.2018 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन धुवारे


3.11.2020
रजिस्ट्रार (एम)